सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

FORM No. IH

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डीग

1. [illegible] 2. दीपचन्द पुत्रगण मुकुन्दराम / बनाम / 1. विजयसिंह उर्फ [illegible] पुत्र सूरजमल

किस्म मुकदमा [illegible] नं० 2. श्रीचन्द पुत्र [illegible] सन [illegible]

[illegible] / 3. प्रताप पुत्र [illegible] 4. मुन्नी 5. [illegible]

दावा धारा 56/A [illegible] प्रति० [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-01-2019	पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वादी निर्णय प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 जा०दी० वास्ते अबेटमेन्ट किये जाने दावा तारीखी 08-12-17 एवं प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4, 9 सहपठित आदेश 1 नियम 10 एवं सहपठित धारा 151 जा०दी० मिन जानिब जरिये वादीगण तारीखी 26/12/17 पेश हुए। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थनापत्र 022R4 CPC वास्ते दावा अबेटमेन्ट दिनांक 08/12/17 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि इस मुकदमा में प्रति० सं० 2 श्रीचन्द की मृत्यु दिनांक 28/4/2012 को व प्रतिवादी सं० 6 [illegible] की मृत्यु दिनांक 24.8.2011, को व प्रतिवादी सं० 7/1 हरभजन की दिनांक 14.07.2013 को तथा प्रतिवादी सं० 9 मदनसिंह की मृत्यु दिनांक 19/02/2013 को मृत्यु हो चुकी है। जिनकी मृत्यु की जानकारी वादीगण को उनकी मृत्यु से रही है। क्योंकि मृतक व वादीगण ग्राम [illegible] के निवासी हैं। लेकिन वादीगण द्वारा आज दिनांक तक उक्त मृतक प्रतिवादीगण के वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु कार्यवाही नहीं की है जबकि कानूनन मृतक प्रतिवादीगण के वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रा०पत्र पेश करने की अधिकतम अवधि 90 दिन है। [illegible]	

उपखण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बदले वाद ५ जिनराजसिंह वगैरह	
	अतः इस आधार पर वादीगण का दावा खारिज किया जावे। वकील वादीगण ने प्रस्तुत प्रा० पत्र की तकनीकी आपत्ति को अस्वीकार करते और जवाब प्रा० पत्र प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण क्र० 2, 6, 7/1 व 9 की मृत्यु की बाबत जानकारी न्यायालय नहीं उपलब्ध नहीं कराई और आदेश 22 नियम 10 के अनुसार मृतकों की जानकारी का दायित्व प्रतिवादीगण का है। वादीगण एक अनपढ़ ग्रामीण परिवेश का रहने वाला व्यक्ति है जो प्रक्रिया से अनभिज्ञ है। वादीगण को जमानत के ऊपर जाने व उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने की कोई आवश्यकता कानून [illegible] है। इस दिनांक 3/12/17 को प्रतिवादीगण द्वारा प्रति० की मृत्यु की सूचना न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई है। अब उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने हेतु आदेश 22 नियम 4, 9 व आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 CPC के तहत पृथक से प्रा० पत्र कर दिया है। इसलिए वकील प्रति० द्वारा प्रस्तुत आपत्ति तथा तारीखी 3/12/17 को खारिज किया जावे। वकील प्रतिवादी० ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र आदेश 22 नियम 4, 9 CPC तारीखी 26/12/17 के तकनीकी आपत्ति को अस्वीकार करते हुए इस बाबत जवाब प्रा० पत्र प्रस्तुत किया कि वादीगण ने यह प्रा० पत्र गलत तथ्यों के आधार विधि विरुद्ध पेश प्रतिवादीगण को परेशान करने एवं वाद पत्र को दीर्घकालीन करने के उद्देश्य से पेश किया है जो मेन्टेनेबिल नहीं है। वादीगण को प्रतिवादी क्र० 2, 6, 7/1, 9 की मृत्यु की जानकारी वादीगण को शुरू से रही है। मृतक गांव के एक ही गौत्र के [illegible] हैं। वादीगण ने धारा 5 [illegible] [illegible]	

N/—

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बद्री आदि वि. विजयसिंह आदि	

यह उजर अंकित किया है कि वादीगण को मृतक प्रतिवादीगण का इल्म नहीं था व मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान को रिकार्ड पर लेना कानूनन आवश्यक है। चूंकि प्रति० सं० 7 की मृत्यु दिनांक 17-12-06 को हो गई थी प्रा० पत्र वादीगण ने प्रा० पत्र पेश किया था। प्रतिवादीगण को करीब 4-5 साल हो गये हैं। इसके अलावा वादीगण ने प्रति० 9 को जीवित माना है जिसके प्रा० पत्र में वर्णित नहीं किया है। अतः प्रा० पत्र वादीगण खारिज किया जावे एवं प्रति० द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र के आधार पर दावा एबेटमेन्ट के आधार पर खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर गौर मनन किया। वकील प्रतिवादीगण ने जवाब प्रा० पत्र O 22 R 4 CPC वास्ते एबेटमेन्ट दावा खारिज करने पर वर्णित तर्कों को दोहराते हुये बहस में तर्क दिया कि विचाराधीन वाद में प्रतिवादीगण सं० 2 श्रीचन्द, 7, 1, हरज्ञान, 6, गोपी व प्रति० सं० 9 की मृत्यु काफी समय पूर्व में हो चुकी है जिनकी मृत्यु की जानकारी वादीगण को मृत्यु के वक्त से ही रही है। भार उक्त प्रतिवादीगण के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही नहीं की है। इस सम्बन्ध में कालातीत पेश करने की अधिकतम अवधि 90 दिवस कानूनी तौर पर निर्धारित है। इस सम्बन्ध में वकील प्रतिवादीगण ने बहस के दौरान कानूनी दृष्टान्त D.N.J. 2009(2) S.C. पेज 724 से 731, CCC 2014 (4) Raj. पेज 199 से 201, RJT 2014(2) Raj. पेज 1135 से 1141, CJ (CIVIL) 2016 (1) (S.C.) पेज

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकामें जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बरदे बनाम विजयसिंह वगैरह	

346 से 349, RJT 2015 (1) C Raj पेज 378 से 382, CCC (Supp) 2014 (AP) पेज 29 से 33 CJ (civil) 2016 (2) Raj पेज 1150 से 1154 व CJ (civil) 2016 (2) Raj पेज 1263 से 1268 को उद्धरित किया है। उक्त दृष्टान्तों के मद्देनजर रखते हुए प्रस्तुत प्रा० पत्र स्वीकार करते हुये अन्तर्वर्ती के आधार पर दावा खारिज किया जावे एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र O22R4 व 9 व 151 CPC अस्वीकार किया जावे।

वादीगण ने जवाब प्रा० पत्र बाबत अन्तर्वर्ती एक प्रा० पत्र O22R4 व 9 व O1R10 व 151 CPC की बाबत तहरीर की ~~बोहरो~~ बहस में कहा कि प्रति० 2, 6, 7, 8, 9 की मृत्यु की जानकारी कराने का दायित्व न्यायालय को था जिसकी जानकारी नहीं कराई है। इन जानकारी के पर वादीगण ने मृतक प्रतिवादीगण के वारिसान बाबत प्रा० पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है वादीगण अनपढ़ व ग्रामीण व्यक्ति हैं जिन्हें कानून की बारीकियों की जानकारी नहीं है कि मृतक पक्षकार के वारिसान को पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक होता है अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र खारिज कर दावा स्वीकार करने की इस्तदुआ की। वादीगण ने बहस के दौरान कानूनी दृष्टान्त RRT 2017 (2) पेज 957 से 961, RRT 2017 (2) पेज 983 से 987 व RRT 2011 (2) पेज 917 से 925, RRT 2001 (2) पेज 805 से 807 को उद्धरित किये हैं। अतः प्रति० द्वारा प्रस्तुत प्र० पत्र दिनांक 8/12/17 अस्वीकार किया जावे एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र O22R4, 9 व O1R10 व 151 CPC स्वीकार किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी

-5

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज छदले वगै० V/S विजयसिंह वगै० दावा नं० 56/2005	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्षकारान अधिवक्तागण की बहस पर हमने अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध हर दोनों प्रार्थना पत्रों व जवाब प्रार्थना पत्रों तथा अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादीगण ने अपने जवाब दावा प्रार्थना पत्र सम्बन्धी 26/247 में यह वर्णित किया है कि मृतक पक्षकारान की जानकारी वादीगण को काफी समय बाद हुई है यह कथन किसी भी कानूनी प्रावधान से समर्थित नहीं होकर वादीगण ने प्रति० क्रम 7 नाथा की मृत्यु होने व उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने बाबत दिनांक 17.12.04 को प्रार्थना पत्र 0.22 R4 जा०दी० प्रस्तुत किया था जिसमें स्वीकार कर वारिसान रिकार्ड पर लिये गये। इससे यह स्पष्ट है कि मृतक वादीगण व पक्षकारान की मृत्यु कानूनी प्रावधानों की जानकारी हो रही है न ही प्रति० क्रम 2, 6, 7/1, 8, 9 जो वादीगण के कुटुम्ब परिवार के थे जिनकी मृत्यु की जानकारी वादीगण को नहीं थी यह तथ्य बिल्कुल विश्वसनीय है तथा कानूनी तौर पर असत्य प्रतीत होते हैं। विचाराधीन दावा में दिनांक 8/4/08 को तनकीह कायम कर वादीगण को साक्ष्य में दिनांक 11-10-12 तक चली है। वादि वादीगण ने अपनी साक्ष्य क्रमांक A लगा कर पूर्ण की है। इससे स्पष्ट है कि वादीगण ने दावा को अनावश्यक रूप से देरी करने का उद्देश्य रहा है इसके बाद दावा प्रतिवादीगण की साक्ष्य में के दौरान वादीगण ने माननीय न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के यहाँ मुक० प्रा० प्रस्तुत कर दावा को स्थगित किया जाने स्पष्ट है। यदि न्यायालय द्वारा का अभिनुमान ... प्रार्थना प्रा०पत्र की सुनवाई में भी वादीगण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के कोई त्रुटि नहीं दिखाई दी चाहे पुराना मुकदमा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर ने निर्णय 21.3.17 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है जिसकी जानकारी भी वादीगण के द्वारा सुनवाई नहीं की। वकील प्रति० ने के प्रमाणित प्रति पेश कर अवगत कराया है। यह वाद वर्ष 2004 से चल रहा है जो कि पूर्व का 13 वर्ष पुराना हो चुका है। वाद को इस प्रकार की स्थिति में चलाना कानूनी प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। उक्त अलावा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार 10 वर्ष से पुराने प्रकरणों को उच्च प्राथमिकता पर शीघ्र निस्तारण करना उचित प्रतीत होता है। वकील प्रति० द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र, नजूल तथा सेटलमेन्ट आदि दि० 08/12/17 के समर्थन में उद्धरित कानूनी दृष्टांत इस प्रावधान के वर्तमान तथ्यों के अनुरूप चस्पा होते हैं व वकील वादीगण द्वारा उद्धरित कानूनी दृष्टान्त चस्पा नहीं होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर वकील प्रति० द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र 0.22 R 4 सपठित आदेश 9 डि० नियम 2 दावा खारिज करने बाबत स्वीकार किये जाने योग्य है तथा वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र 0.22 R 4-9 [illegible] 01 R 10 व 151 CPC अस्वीकार योग्य है।	
	अतः आदेश है कि।	
	पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र 0.22 R 4 ता० 8.12.17 जा० दी० बाबत खारिज किये जाने प्रमाणित होने पर स्वीकार किया जाता है तथा वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र 0.22 R 4, 9 व 151 जा० दी० प्रमाणित नहीं होने पर अस्वीकार किया है। इस आधार पर वादीगण का दावा जरिये सेटलमेन्ट [illegible] किया जाता है। तदनुसार डिक्री [illegible] जारी हो। निर्णय आज दि० 10.01.18 को लिखाकर उद्घोषित [illegible] खुले न्यायालय सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी [illegible]

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू० 6–7 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix "D" I)

डीग

अज अदालत ..उपखण्ड अधिकारी.......... मुकाम ..1. [illegible] ....

इजलास ..श्री [illegible] डीग.......... 2. [illegible] ....

1. [illegible] 2. [illegible] .... बनाम [illegible] ....

[illegible] ग्राम [illegible] तह० डीग .... दावा बाबत [illegible] ....

[illegible] 56104 .... मुकदमा नं० .... सन ....

6. [illegible]

7. [illegible]

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू..........

व हाजिरी..........मिनजानिब..........

..........मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

[illegible handwritten entry]

आज..........मुवक्लिग..........

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर..........को सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........को अदा करें।

वसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..10.. माह ..01.. सन् ..15.. को जारी की गई। [illegible handwritten entry]

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

दस्तखत..........

मुहर.......... ओहदा..........

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

मीजान		रुपया	पैसे	मुद्दालय		रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा	....			स्टाम्प बकालतनामा	....	2-00	
स्टाम्प बकालतनामा	....	2-00		स्टाम्प अरजी	....		
स्टाम्प बजह सबूत	....			महनताना वकील) पर	....		
महनताना वकील) पर	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बावत इजराय हुक्मनामा	....		
बावत इजराय हुक्मनामा	....			मुतफरिक	....	3-00	
मुतफरिक	....	2-00					
मीजान	....	8-00		मीजान	....	5-00	